पत्र सं0- विधि-4(3)/टैक्स बार एसो0/2022-23/ 586 /राज्य कर।

कार्यालय:-आयुक्त, राज्य कर, उ0प्र0।
(विधि अनुभाग)
लखनऊ :: दिनांक :: 2। दिसम्बर, 2022

समस्त जोनल अपर आयुक्त, राज्य कर,
उत्तर प्रदेश।

दि यू0पी0 टैक्स बार एसोसिएशन (पंजीकृत) अर्दनी बाजार, वाराणसी का 46 वॉ प्रान्तीय अधिवेशन दिनांक 23 से 25 दिसम्बर 2022 को सेल्स टैक्स बार एसोसिएशन वाराणसी के सौजन्य से आहूत किया गया है। अधिवेशन में प्रान्त के प्रत्येक अधिवक्ता की उपस्थिति अनिवार्य है, जिस हेतु दिनांक 22 दिसम्बर से 26 दिसम्बर 2022 तक अधिवक्ता के वाद व विधिक कार्य एकपक्षीय आदेश न पारित किये जाने का अनुरोध The Uttar Pradesh Tax Bar Association (Regd.) के ज्ञापन में किया गया है।

अत: दि यू0पी0 टैक्स बार एसोसिएशन (पंजीकृत) अर्दनी बाजार, वाराणसी के 46वें प्रान्तीय अधिवेशन दिनांक 23 से 25 दिसम्बर 2022 को होने के दृष्टिगत दिनांक 23-12-2022 से 25-12-2022 (कुल 03 दिन) की अवधि में एकपक्षीय आदेश पारित न किये जाने के निर्देश दिए जाते हैं।

(ओ0पी0 वर्मा)
अपर आयुक्त, राज्य कर,
उत्तर प्रदेश।